

राज्य

प्रदेश

अग्निशमन

सेवा

संख्या

चतुर्थ/पंचम तल इन्दिरा भवन अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

संख्या-एफएस-1076/2016(13)

दिनांक:सितम्बर,

सेवा में,

मैसर्स,

उन्नति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लि0(गिडको),

आगरा।

संख्या सं0-6/2, 1/4, 1/5, 1/13, 8से14, 16से26, 42से53 व 56, मौजा-बाबरपुर मू तहसील व जनपद आगरा पर मैसर्स, गनपति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लि0 (गिडको) द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "उन्नति आवास योजना" गनपति स्मार्ट सिटी भवन के निर्माण प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक:02.09.2016 तथा फायर सर्विस के वेबसाइट पर अपलोड टिकट संख्या:2016/23776/एजोए/आगरा/707/जेडी, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो उक्त प्रस्तावित भवन हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के विषय में।

उक्त प्रश्नगत भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का अग्निशमन अधिकारी, शास्त्रीपुरम्, आगरा द्वारा संस्तुति मानकों के अनुसार किया गया, तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक:03.09.2016 एवं मुख्य आगशमन अधिकारी, आगरा की परीशीलन संस्तुति आख्या दिनांक:06.09.2016 तथा उपनिदेशक फायर सर्विस, आगरा की संस्तुति आख्या दिनांक:08.09.2016 का परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो उनकी संस्तुति/आख्या के अनुसार निम्न विवरण पाया गया:-

1-भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-34553.79 वर्ग मीटर।

2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया नर्मदा टावर-01 का-776.12 वर्गमीटर, नर्मदा टावर-02 का-1295.52 वर्गमीटर, नर्मदा टावर-03, 04, व 05 प्रत्येक का 1137.77 वर्गमीटर, तथा कावेरी टावर-01, 02, व 03 प्रत्येक का 1295.52 वर्गमीटर, क्लब हाउस का 247.71 वर्गमीटर, कन्वीनिएन्ट शॉप का 180.00 वर्गमीटर, इस प्रकार कुल भूतल कवर्ड एरिया-9460.30 वर्गमीटर है।

3-प्रस्तावित प्रथम तल से छठवे तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया-नर्मदा टावर-01 का 759.35 वर्गमीटर, नर्मदा टावर 02 का 939.83 वर्गमीटर, नर्मदा टावर 03, 04 व 05 प्रत्येक का 1121.00 वर्गमीटर, कावेरी टावर 01, 02, व 03 प्रत्येक का 1278.88 वर्गमीटर, क्लब हाउस प्रथम तल का 247.71 वर्गमीटर एवं कन्वीनिएन्ट शॉप प्रथम तल का कवर्ड एरिया-180.00 वर्गमीटर है।

4-प्रस्तावित कावेरी टावर 01, 02 व 03 के सातवें तल से नवे तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया-1278.88 वर्गमीटर।

5-भवन की ऊँचाई नर्मदा टावर की-21.00 मीटर व कावेरी टावर की-30.00 प्रस्तावित है।

6-भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की रेजीडेन्शियल विडियन के तहत डिवीजन ए-4 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

7-डॉच्मगत व्यवस्थायें:-

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 18.00 मीटर रोड की चौड़ाई प्रस्तावित है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर जो मानक के अनुसार है।

3-सेट बैक-

अ- अग्रभाग- 10.00 मीटर।

ब- पृष्ठ भाग- 10.00 मीटर।

स- पार्श्व-प्रथम- 12.00 मीटर।

द- पार्श्व-द्वितीय-10.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन नियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधनका रूप

4-निकास नार्ग-प्रस्तावित भवन के निकास टावर 01, 02, 03, 04 व 05 प्रत्येक में 1.50-1.50 मीटर चौड़ाई के 02-02 स्टेयरकेस, कावेरी टावर 01, 02 व 03 में 1.50 मीटर चौड़ाई के 02 स्टेयरकेस, 1.20 मीटर चौड़ाई के 01 वाह्य स्टेयरकेस, एवं क्लव हाउस व कन्वीनिएन्ट शॉप प्रत्येक में 1.50 मीटर चौड़ाई के 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित हैं। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हो।

5-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-होजरील:-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

2-ड्राउनकमर:-प्रस्तावित भवन में क्लव हाउस को छोड़कर प्रत्येक टावर में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार प्रस्तावित है।

3-इंस्टॉलित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रस्तावित क्लव हाउस व कन्वीनिएन्ट शॉप को छोड़कर प्रत्येक टावर में मैनुअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0-2005 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

4-टेरिस टैंक:-कन्वीनिएन्ट शॉप के टेरिस पर टेरिस टैंक 5,000 लीटर क्षमता का तथा क्लव हाउस को छोड़कर प्रत्येक टावर पर 25,000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।

5-टेरिस पम्प:-कन्वीनिएन्ट शॉप के टेरिस टैंक के पास 450 एल0पी0एम0 क्षमता तथा क्लव हाउस को छोड़कर प्रत्येक टावर पर टेरिस टैंक के पास 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।

6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में आई0एस0 2190 के मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर प्राविधानित किये गये हैं।

7-फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग 02 घण्टा प्रस्तावित है।

8-एग्जिट साइनेज:-भवन निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित किये जाय।

9-पी0ए0 सिस्टम:-पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था क्लव हाउस व कन्वीनिएन्ट शॉप को छोड़कर प्रत्येक टावर में प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार खसरा सं0-6/2, 1/4, 1/5, 1/13, 8से14, 16से26, 42से53 व 56, मौजा-बाबरपुर मुस्तकिल तहसील व जनपद आगरा पर मैसर्स, गनपति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रा. लि. (गिडको), द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "उन्नति आवास योजना" गनपति स्मार्ट सिटी भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है, कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन के निर्माणोपरान्त एन0बी0सी0 का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही नैरस्त समझा जायेगा।

तल्लमक: अनुमोदित मानचित्र।

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (सफ0/पी0),
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0 प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:-उपनिदेशक, फायर सर्विस आगरा को उनके पत्र सं0:2016/23776/एजीए/आगरा/707/जेडी के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखीय रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी आगरा को उनके पत्र सं0:2016/23776/एजीए/आगरा/707/जेडी के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखीय रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

3-अधिसाशी अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक:सीएफओ-अ.सु.-05/16(भवन)
सेवा में,

अधिकारी, आगरा।
दिनांक: नवम्बर 22, 2016

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय:- खसरा सं0-6/2, 1/4, 1/5, 1/13, 8से14, 16से26, 42से53 व 56, मौजा-बाबरपुर मुस्तकिल तहसील व जनपद आगरा पर मैसर्स, गनपति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लि0 (गिडको), द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "गनपति स्मार्ट सिटी" भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक:-06/बी0एफ0एच0/समाजवादी/16-17 दिनांक:28.09.2016,
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, शास्त्रीपुरम, आगरा द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया, तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक:24.10.2016 का परिशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया गया:-

1-भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-27614.85 वर्ग मीटर।

प्रस्तावित कवर्ड एरिया	सतलज टावर-01	सतलज टावर-02	सतलज टावर-03	सतलज टावर-04	सतलज टावर-05	गोमती टावर-01	गोमती टावर-02	कन्वीनिएन्ट शॉप
भूतल	764.83 वर्गमीटर	811.31 वर्गमीटर	764.83 वर्गमीटर	1140.90 वर्गमीटर	1140.90 वर्गमीटर	1011.57 वर्गमीटर	1138.16 वर्गमीटर	180.00 वर्गमीटर
प्रथम तल से नौवे तल तक	749.78 वर्गमीटर	796.26 वर्गमीटर	749.78 वर्गमीटर	1120.00 वर्गमीटर	1120.00 वर्गमीटर	1001.05 वर्गमीटर	1125.70 वर्गमीटर	180.00 वर्गमीटर

2-भवन की ऊँचाई-30.00 मीटर है।

2-भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की रेजीडेन्शियल बिल्डिंग के सब डिवीजन ए-4 अपार्टमेन्ट हाउसेज (फ्लैट्स) श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3-ढाँचागत व्यवस्थायें:-

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 12.00 मीटर रोड की चौड़ाई प्रस्तावित है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक-

अ- अग्रभाग- 10.00 मीटर।

ब- पृष्ठ भाग- 10.00 मीटर।

स- पार्श्व-प्रथम- 10.50 मीटर।

द- पार्श्व-द्वितीय-10.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन नियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

क्रमशः पेज नं0 02 पर

4-निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में सतलज टावर 01, 02, 03, गोमती टावर 02 में 02 स्टेयरकेस प्रत्येक की चौड़ाई 1.50 मीटर सतलज टावर 04 व 05 तथा गोमती टावर 01 में 03 स्टेयरकेस जिसमें 02 की चौड़ाई 01.50 चौड़ाई (आन्तरिक) तथा 01 की चौड़ाई 01.20 मीटर(वाह्य स्टेयरकेस), का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-होजरील:-प्रत्येक टावर में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

2-डाउनकमर-प्रत्येक टावर में डाउनकमर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के अनुसार प्रस्तावित है।

3-हस्तचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-मैनुअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0-2005 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

4-टेरिस टैंक:-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक 25,000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।

5-टेरिस पम्प:-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक के पास 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।

6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में आई0एस0-2190 के मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर प्राविधानित किये गये हैं।

7-फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग 02 घण्टा प्रस्तावित है।

8-एग्जिट साइनेज:-भवन निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित किये जाय।

9-पी0ए0 सिस्टम:-पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्रत्येक टावर में प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार खसरा सं0-6/2, 1/4, 1/5, 1/13, 8 से 14, 16 से 26, 42 से 53 व 56, मौजा-बाबरपुर मुस्तकिल तहसील व जनपद आगरा पर मैसर्स, गनपति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लि0 (गिडको), द्वारा प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन "गनपति स्मार्ट सिटी" भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है, कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन के निर्माणोपरान्त एवं भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(सुनील कुमार सिंह) 16
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपि:-अग्निशमन अधिकारी, शास्त्रीपुरम, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।।

2-मैसर्स, गनपति स्मार्ट सिटी, श्री निखिल अग्रवाल, 31/472, सी-1, गणेश प्लाजा, सुल्तानगंज, बाईपास रोड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।